न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी : श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 406 / 2018

प्रार्थीः–

अर्जुनसिंह पुत्र शिवसिंहजी जाति राजपूत निवासी जीनपुर तहसील सिवाना जिला बाडमेर (राज.)

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. उत्तमसिंह
2. कानसिह
3. गणपतसिंह पिसरान नगसिंहजी जातियान राजपूत निवासी जीनपुर
4. भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंहजी जाति राजपूत निवासी जीनपुर
5. दुर्गसिंह गोदपुत्र रतनाजी उर्फ रतनसिंहजी जाति पुरोहित निवासी जीनपुर
6. जोगाराम पुत्र मसरारामजी जाति मेघवंशी निवासी जीनपुर तहसील सिवाना जिला बाडमेर,
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना–अन्तर्गत धारा (111) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित : 1. श्री निखिल दवे अधिवक्ता प्रार्थी
2 विप्रार्थीगण अनुपस्थित

दिनांक :–

आदेश

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आर एल आर 1956 की धारा 111 –128 के अर्न्तगत विप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया है ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे व्यक्त किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि ख.नं. 130 रकबा 1.9992 राजस्व गांव जीनपुर पटवार मण्डल सैला तहसील सिवाना में आई हुई है।। प्राथी की खातेदारी के पास विप्रार्थीगण के खेत आये हुए है वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाकर नेखमबंदी करवाना चाहता है । प्रार्थी ने भूमि की पैमाईश एवं नेखमेबंदी करवाने का निवेदन किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

पत्रावली राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प स्थल रमणिया में पेश हुई विप्रार्थी संख्या 5 व 6 उपस्थित जिन्होने पत्थरगढी हेतु सहमति जाहिर की दीगर विप्रार्थीगण अनुपस्थित ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

पत्रावली दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का नोटिस जरिये रजिस्र्टड डाक द्वारा एक माह पूर्व में प्रेषित किये जा चुके है। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया एवं अध्ययन किया गया प्रस्तुत प्रकरण मे न्यायालय को तय करना है कि प्रार्थी विवादित भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का अधिकारीगण है ?

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शा किश्तवार सरहद मौजा जीनपुर एवं जमाबंदी ग्राम जीनपुर संवत 2071–2074 की नकल प्रस्तुत की गई का अवलोकन किया खेत खसरा नम्बर 130 रकबा 1.9992 हैक्टयर मे प्रार्थी का एक खातेदार की हैसियत से नाम दर्ज है । पक्षकारान के मध्य सीमा चिन्हो का विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवा कर नेखमबंदी करवाना चाहता है । प्रार्थी विवादित भूमि मे खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी अपनी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने के अधिकारीगण जाहिर होते है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा जीनपुर पटवार मण्डल सैला तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 130 रकबा 1.9992 हैक्टयर की पैमाईश एवं नेखंबन्दी हेतु तहसीलदार सिवाना को भू मापक आयुक्त नियुक्त कर निर्देश दिये जाता है कि वो दोनो पक्षो को सूचित कर दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की पैमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना भिजवावें । पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो । तहरीर पृथक से जारी हो । भू मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील के दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) सिवाना

आदेश आज दिनांक 14.06.18 को सुनाया गया ।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) सिवाना